



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
अपर कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:SHSB/PM/596/2022/.....80.....

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना।

सिविल सर्जन: पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर।

पटना, दिनांक 04/04/2024

विषय: राज्य के AES प्रभावित 12 जिलों में AES रोग के सुरक्षात्मक निवारण हेतु आशा कार्यकर्ता को ORS Sachet का 10 Sachet एवं Paracetamol Oral Liquid 125mg/5ml-60ml bottle का 2 Bottle की आपूर्ति आशा को पूर्व से दी गई HBNC Kit में कराने के संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक 02.04.2024 को सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में SKMCH, मुजफ्फरपुर में आहूत बैठक में राज्य के AES प्रभावित जिलों में AES रोग के सुरक्षात्मक निवारण हेतु उक्त जिलों के प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को ORS का 10 Sachet एवं Paracetamol Oral Liquid 125mg/5ml-60ml bottle का 2 Bottle के साथ एक-एक किट आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त 12 जिलों में निम्न विवरणी के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं को ORS Sachet का 10 Sachet एवं Paracetamol Oral Liquid 125mg/5ml-60ml bottle का 2 Bottle का वितरण किया जाना है:-

क्रमांक	जिला का नाम	आशा की संख्या
1	Patna	3331
2	Gopalganj	2367
3	Saran	3484
4	Siwan	2953
5	Darbhanga	3380
6	Samastipur	3941
7	Champan (E)	4636
8	Champan (W)	3538
9	Muzaffarpur	4285
10	Sheohar	520
11	Sitamarhi	3197
12	Vaishali	3163
Total Asha		38795

3. अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तालिका में जिला के सम्मुख अंकित संख्या के अनुसार जिलों को ORS Sachet का 10 Sachet एवं Paracetamol Oral Liquid 125mg/5ml-60ml bottle का 2 Bottle आपूर्ति संबंधित जिला के जिला औषधि भंडार में किया जाये। जिला औषधि भंडार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जिला सामुदायिक उत्प्रेरक के सहयोग से उक्त दोनों औषधि का प्रखंडवार वितरण कराया जायेगा।

4. क्षेत्र भ्रमण के दौरान आशा कार्यकर्ता बच्चों में AES अथवा अन्य बिमारियों की रोकथाम एवं प्राथमिक उपचार में उक्त औषधियों का उपयोग कर सकेंगी। आशा को जिला औषधि भंडार/प्राथमिक





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा दी जा रही उक्त औषधियों के खपत हो जाने के पश्चात पुनः इसकी आवश्यकता होने पर आशा कार्यकर्ता द्वारा संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मांग पत्र समर्पित किया जाएगा और उस मांग पत्र के आधार पर आशा कार्यकर्ताओं को उपर्युक्त संख्या में ORS एवं Paracetamol Oral Liquid की भरपायी (Replenish) संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भंडार से किया जायेगा। ORS एवं Paracetamol Oral Liquid आशा कार्यकर्ता को दिए जाने संबंधी विवरणी की प्रविष्टि प्रत्येक सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भौतिक भंडार पंजी में आशा कार्यकर्ता के नाम के साथ किया जाना अनिवार्य है। भंडार पंजी के अनुसार DVDMS में issue के section में issue to third party के drop-down option में ASHA/ASHA Facilitator option में आशा कार्यकर्ता का नाम अंकित करते हुये इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाय। उक्त विधि से जिला स्तर पर उक्त दोनों औषधियों की आपूर्ति, वितरण एवं खपत का अनुश्रवण जिलास्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा ताकि लाभार्थियों तक उक्त दोनों औषधियों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी स्तर पर औषधियाँ तिथिवाद, दुरुपयोग एवं नष्ट नहीं होने पाये।

5. अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के आलोक में आशा कार्यकर्ताओं को दिये जा रहे ORS एवं Paracetamol Oral Liquid का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन

Suharshe
(सुहर्ष भगत) 04/04/24





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
अपर कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:SHSB/PM/596/2022/.....

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना।

सिविल सर्जन: पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर।

पटना, दिनांक

विषय: राज्य के AES प्रभावित 12 जिलों में AES रोग के सुरक्षात्मक निवारण हेतु आशा कार्यकर्ता को ORS Sachet का 10 Sachet एवं Paracetamol Oral Liquid 125mg/5ml-60ml bottle का 2 Bottle की आपूर्ति आशा को पूर्व से दी गई HBNC Kit में कराने के संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक 02.04.2024 को सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में SKMCH, मुजफ्फरपुर में आहूत बैठक में राज्य के AES प्रभावित जिलों में AES रोग के सुरक्षात्मक निवारण हेतु उक्त जिलों के प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को ORS का 10 Sachet एवं Paracetamol Oral Liquid 125mg/5ml-60ml bottle का 2 Bottle के साथ एक-एक किट आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त 12 जिलों में निम्न विवरणी के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं को ORS Sachet का 10 Sachet एवं Paracetamol Oral Liquid 125mg/5ml-60ml bottle का 2 Bottle का वितरण किया जाना है:-

क्रमांक	जिला का नाम	आशा की संख्या
1	Patna	3331
2	Gopalganj	2367
3	Saran	3484
4	Siwan	2953
5	Darbhanga	3380
6	Samastipur	3941
7	Champaran (E)	4636
8	Champaran (W)	3538
9	Muzaffarpur	4285
10	Sheohar	520
11	Sitamarhi	3197
12	Vaishali	3163
Total Asha		38795

3. अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तालिका में जिला के सम्मुख अंकित संख्या के अनुसार जिलों को ORS Sachet का 10 Sachet एवं Paracetamol Oral Liquid 125mg/5ml-60ml bottle का 2 Bottle आपूर्ति संबंधित जिला के जिला औषधि भंडार में किया जाये। जिला औषधि भंडार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जिला सामुदायिक उत्प्रेरक के सहयोग से उक्त दोनों औषधि का प्रखंडवार वितरण कराया जायेगा।

4. क्षेत्र भ्रमण के दौरान आशा कार्यकर्ता बच्चों में AES अथवा अन्य बिमारियों की रोकथाम एवं प्राथमिक उपचार में उक्त औषधियों का उपयोग कर सकेंगी। आशा को जिला औषधि भंडार/प्राथमिक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,

दूरभाष: 0612-2290328, फ़ैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा दी जा रही उक्त औषधियों के खपत हो जाने के पश्चात पुनः इसकी आवश्यकता होने पर आशा कार्यकर्ता द्वारा संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मांग पत्र समर्पित किया जाएगा और उस मांग पत्र के आधार पर आशा कार्यकर्ताओं को उपर्युक्त संख्या में ORS एवं Paracetamol Oral Liquid की भरपायी (Replenish) संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भंडार से किया जायेगा। ORS एवं Paracetamol Oral Liquid आशा कार्यकर्ता को दिए जाने संबंधी विवरणी की प्रविष्टि प्रत्येक सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भौतिक भंडार पंजी में आशा कार्यकर्ता के नाम के साथ किया जाना अनिवार्य है। भंडार पंजी के अनुसार DVDMS में issue के section में issue to third party के drop-down option में ASHA/ASHA Facilitator option में आशा कार्यकर्ता का नाम अंकित करते हुये इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाय। उक्त विधि से जिला स्तर पर उक्त दोनों औषधियों की आपूर्ति, वितरण एवं खपत का अनुश्रवण जिलास्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा ताकि लाभार्थियों तक उक्त दोनों औषधियों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी स्तर पर औषधियाँ तिथिवाद, दुरुपयोग एवं नष्ट नहीं होने पाये।

5. अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के आलोक में आशा कार्यकर्ताओं को दिये जा रहे ORS एवं Paracetamol Oral Liquid का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुहर्ष भगत)

ज्ञापांक: SHSB/PM/596/2022/.....80

पटना, दिनांक. 04/04/2024

प्रतिलिपि:

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 07/स०को०, दिनांक 04.04.2024 के क्रम में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
- जिला पदाधिकारी पटना, गोपालगंज, सारण, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सितामढ़ी एवं वैशाली को कृपया सूचनार्थ।
- निदेशक प्रमुख, नर्सिंग, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
- अपर निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (NVBDCP), बिहार/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (आशा), राज्य स्वास्थ्य समिति/संबंधित जिला वेक्टर बोर्ड पदाधिकारी/संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक/संबंधित जिला सामुदायिक उत्प्रेरक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Suharsha
04/04/24

अपर कार्यपालक निदेशक

